न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–सागर निगरानी 2356-II/14

श्री के.के. द्विवेदी P.S. द्वारा आज दि. 1-8-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती गुलाब रानी मृत विधवा स्व. श्री मेहताब सिंह द्वारा विधिक वारिसान

1– मानसिंह पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह

2– धनसिंह पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह

3– लक्ष्मीबाई पत्नी श्री शिवराज सिंह पुत्री स्व. श्री मेहताब सिंह

4– जगमोहन सिंह स्व. श्री परमानन्द सिंह

5– रतन सिंह पुत्र स्व. श्री परमानन्द सिंह सभी निवासी गोपालगंज सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.) ....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.) ...... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 652-II/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.08.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में धारकों को कुल सूखी भूमि रकवा 198.00 एकड रखने की पात्रता मानकर तथा धारक के पास कुल 202.15 एकड भूमि होना मानकर शेष भूमि रकवा 4.15 एकड सिलिंग भूमि से अधिक मानकर शासन में निहित करने का विवादित त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया गया है।

Dwi. 1-8-14 K. K. Dwivedi

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2356–दो/014 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.10.2015	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से पैनल अधिवकता उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 652–दो/2009 में पारित आदेश दिनांक 6.8.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2356–दो/13 के तथ्यों पर आवेदक पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 652–दो/09 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 6.8.13 से किया जा चुका है ।	

रिव्यु 2356-दौ / 14

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य